

बिहार सशस्त्र पुलिस तथा अस्वारोही सैन्य पुलिस हेतु स्टेनलेस स्टील के वर्तनों को खरीद एवं आपूर्ति के सम्बन्ध में।

पुलिस आदेश सं० -214/89 में बिहार सशस्त्र पुलिस तथा अस्वारोही सैन्य पुलिस बल हेतु विभिन्न किस्मों के वर्तन वाकन की खरीद एवं उसकी आपूर्ति हेतु प्रक्रिया का निष्पन्न किया गया है।

उपर्युक्त पुलिस आदेश सं०-214/89 की कंडिका 14 में निम्नस्मरण आंगी संगोधन किया जाता है :-

चूंकि स्टील की थाली एवं लोटा को खरीद "सामग्री एवं पूर्तियाँ" मद से की जानी है और इसके लिए पुलिस मुख्यालय भी सक्षम है, अतः यह निर्णय लिया जाता है कि इसकी खरीद केन्द्रीय स्तर से पुलिस मुख्यालय द्वारा ही की जाएगी। इन वर्तनों को न्यूनतम आवश्यकताएँ समादेष्टागण महानिरोधक, सशस्त्र बल, बिहार को संसूचित करेंगे और महानिरोधक, सशस्त्र बल द्वारा पुलिस मुख्यालय को इसकी सूचना दी जाएगी। उक्त अनुसूचि पुलिस मुख्यालय द्वारा इन वर्तनों को खरीद सम्बन्धी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरोधक,
बिहार, पटना।

ज्ञापक 454 / सै० पु०

एच६-1-1/89.

आरक्षी महानिरोधक, सशस्त्र बल का कार्यालय, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक 2 मार्च 1990.

प्रतिलिपि:-

1. आरक्षी महानिरोधक, सशस्त्र बल/प्रो विजन्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. सभी आरक्षी उप-महानिरोधक/समादेष्टा, बिहार सशस्त्र बल अस्वारोही सशस्त्र बल सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. आरक्षी महानिरोधक के सहायक प्रशासन/एच६-1/क्यू बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. प्रशाखा प्रदाधिकारी प्रो-1, प्रशाखा, महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरोधक का कार्यालय, बिहार, पटना को राजपत्र में प्रकाशन हेतु आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरोधक,
बिहार, पटना।

मेडता: 1390: